04DD 008577

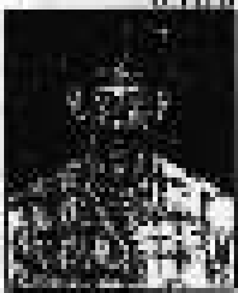

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 10,87,000/-
बाजार मूल्य	: रू0 6,36,000/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 1,09,000/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख मुरतजा हुसैन व इरतजा हुसैन, इरशाद हुसैन, नौशाद हुसैन पुत्रगण हसन निवासी-ग्राम युसुफ नगर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिन्हें आगे

[illegible] কারাগার, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১-১১-০৫

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১-১১-০৫

[illegible]

[illegible]

0400 008579

-2-

विक्रेतागण कहा गया है, एम्मु यामुना प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड आफीस–1101 राजस्टॉल हाउस, राजस्टॉल मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता–तृतीय तल, वाईoएमoसीoएo बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री केoकेoसिंह, उपमहाप्रबन्धक, पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह वर्तमान एवं स्थायी पता– तृतीय तल, वाईoएमoसीoएo

[illegible]

[illegible] কুমার সিং

[illegible]

তারিখ 1-11-০৭

[illegible]

1-11-05

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

0400 008579

-3-

बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा न0 127 कुल रकबा 0.579 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर उर्फ घसियामऊ, परगना -बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिल है तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 17 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम [illegible]

5000Rs.

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

184944

-4-

दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अंश को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं आड़, किया, गिरवी-

5000Rs.

भारत

५000रु. R 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

184943

- 3 -

का अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक का दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 10,87,000/- (दस लाख

5000Rs.

भारत

५०००रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

184863

सत्तासी हजार रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कुल्ल बेच दिया है, एवं

5000Rs.

५000रु. Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

184865

विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व, अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति को

5000Rs.

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

184864

रूप में धारण एवं उपभोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को यह

5000Rs.

NON JUDICIAL

५000रु. R$5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

184945

हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को

1000Rs.

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, क्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुस्तफा नगर, [illegible] भाटिया मऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सिविल ग्राम के अन्तर्गत आता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

₹1000रु. भारत Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.579 हेक्टेयर की मालियत रू0 6,36,900/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,00,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व

१००० रु. भारत Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. R[s] 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा न0 127 कुल रकबा 0.579 हेक्टेअर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रूपये ONE HUNDRED RUPEES

2 OCT 2004

कोषागार लखनऊ

खसरा नं० 127 रकबा 0.579 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–128
पश्चिम	: खसरा संख्या–62
उत्तर	: खसरा संख्या–125
दक्षिण	: खसरा संख्या–68 व 62

१०० रु. R. 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

रू0 10,87,000/- (दस लाख सत्तासी हजार रुपया) विक्रेतागण को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

14 OCT 2004
A.T.O./T.O.
TRY. LKO

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: ..10.2004

गवाह

1\. S.V. Singh S/ Shri T.P. Singh
C-139 ... Aliganj Lucknow

2\.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम संगीनी)

मसविदाकर्ता
(बंकटेश्वरम सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

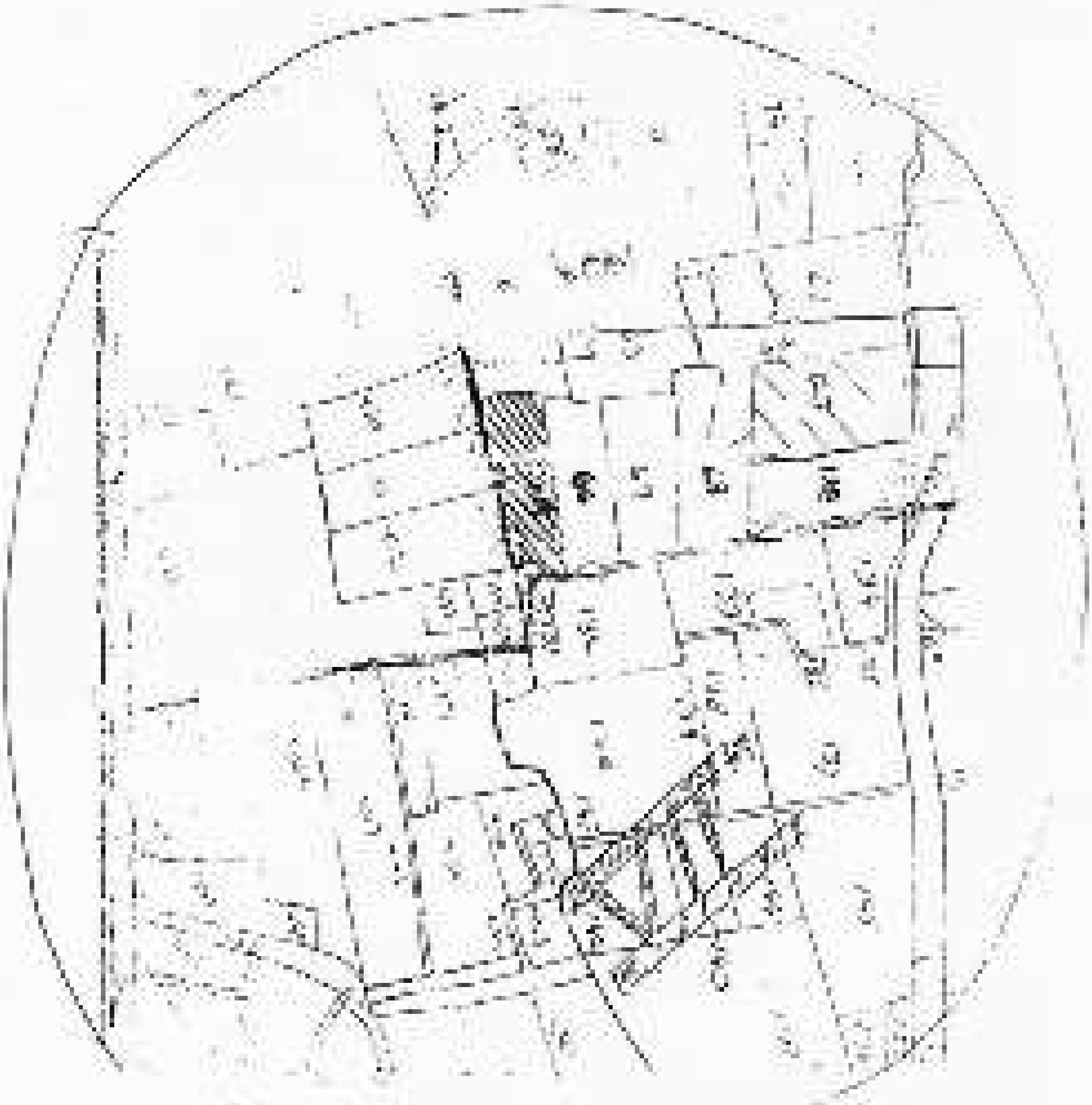

[illegible]

[illegible]

Dy. C.M.

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर प्रिन्ट

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : मुरतजा हुसैन

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

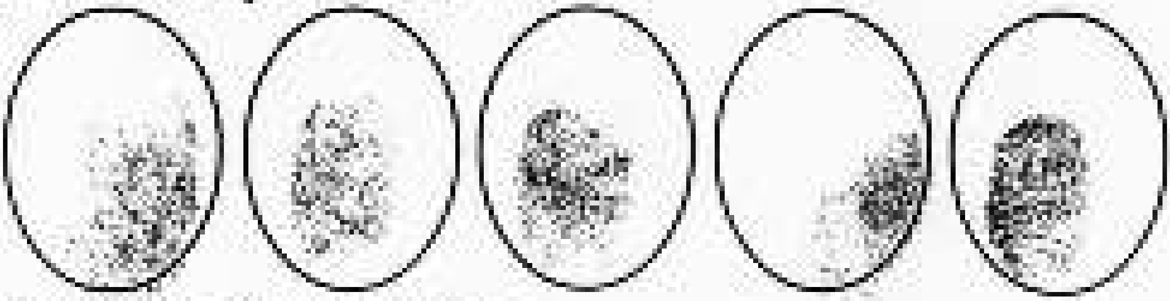

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

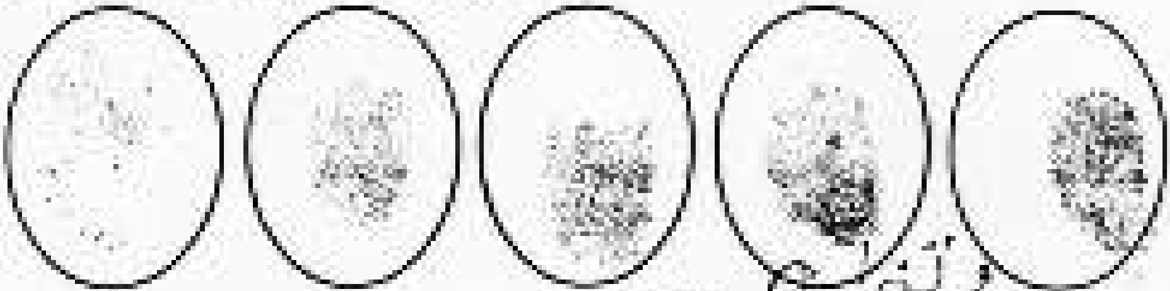

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

अनुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : मुरतजा हुसैन

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

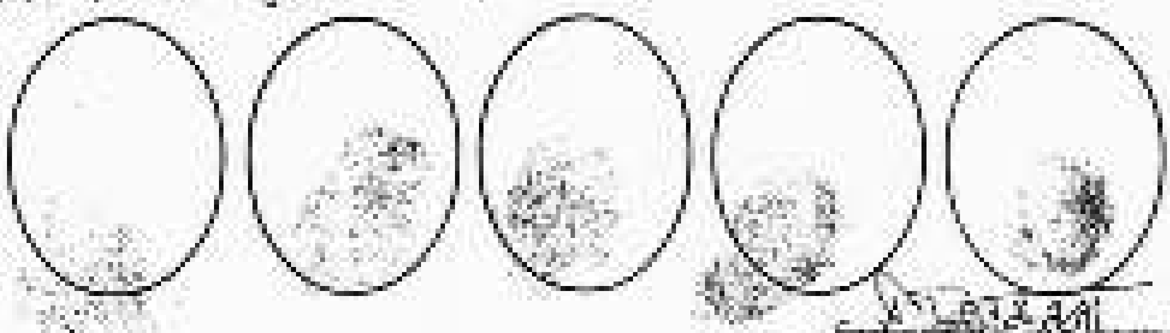

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

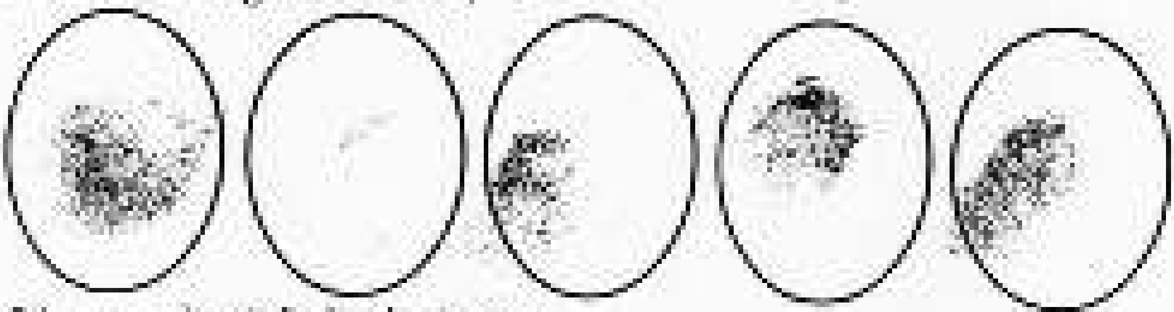

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

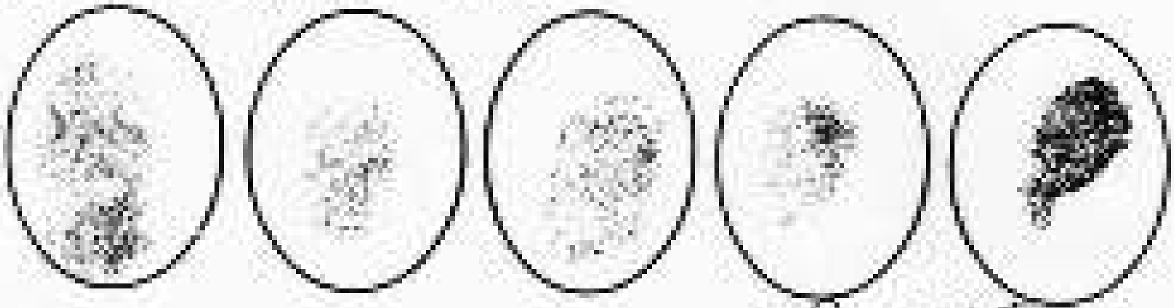

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

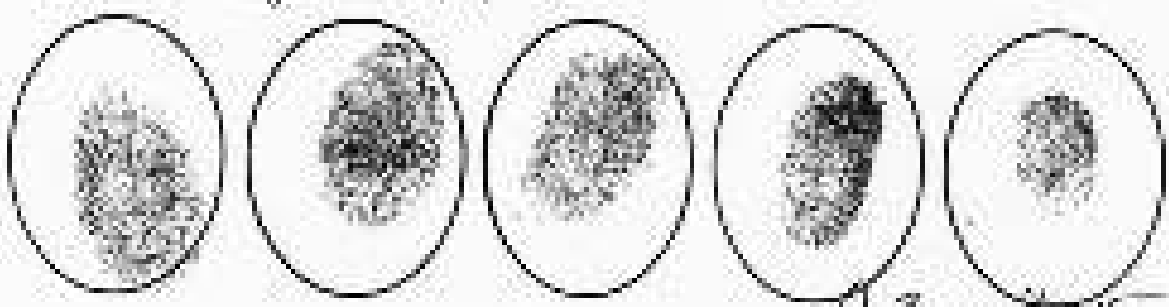

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible] शाकम्बरी प्राइ लिम द्वारा [illegible] (DGM)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

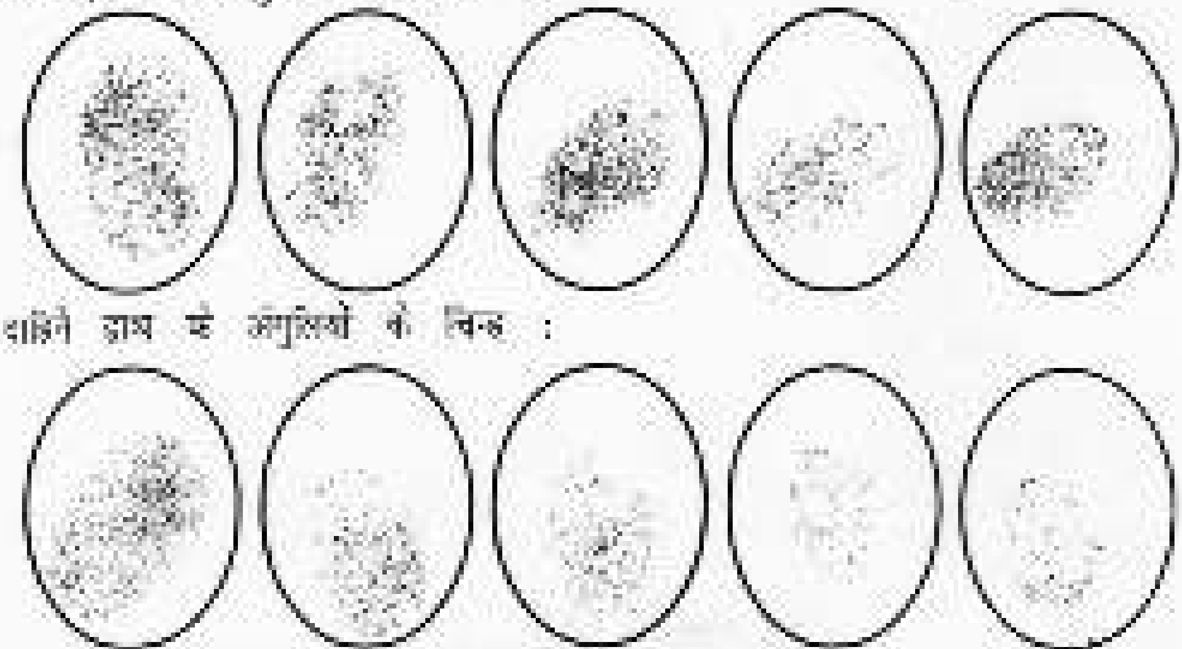

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर